न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

अपील संख्या 174/15 तारीख रजू– 17/11/2015

लटूर पुत्र श्रीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढाय तहसील गंगापुरसिटी। ––अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार,तलावडा। –––––– रेस्पो0

निर्णय दिनांक–02/06/2016

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार,तलावडा द्वारा मिसल संख्या 585/15 मे पारित आदेश दिनांक 14/09/2015 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम ढाय की आराजी खसरा नम्बर 229 रकवा 0.35 हैक्टर किस्म बारानी–2 पर संवत 2072 खरीफ मे अनाधिकृत रूप से कब्जा कर काश्त करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने व फसल जब्त कर नीलाम करने के साथ साथ अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण निस्तारण हेतु राजस्व लोक अदालत मे रखा गया।

अपीलार्थी लटूर स्वंय उपस्थित हुआ। अपीलार्थी को सुना तो उसने अवगत कराया कि अपीलार्थी ने ग्राम ढाय की आराजी खसरा नम्बर 229 रकवा 0.35 हैक्टर किस्म बारानी–2 पर से अपना कब्जा हटा लिया है। मोके पर कोई कब्जा नही है तथा इस बाबत जॉच करवाने हेतु निवेदन किया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने भविष्य मे अतिक्रमित आराजी पर अतिक्रमण नही करने की सहमति भी जताई है तथा अतिक्रमित आराजी से कब्जा हटाने व भविष्य मे अतिक्रमित आराजी पर कब्जा नही करने बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी की सजा निरस्त करने से पूर्व मोके की जॉच करवायी जावे। यदि अपीलार्थी का अतिक्रमित आराजी पर कब्जा नही हो तो ही सिविल कारावास की सजा निरस्त फरमायी जावे अन्यथा यथावत रखी जावे।

अतः अपीलार्थी व पेरोकार सरकार को सुनने के पश्चात राजस्व लोक अदालत की भावना से अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, शास्ति व फसल जब्त कर नीलामी का आदेश तो यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण नायब तहसीलदार तलावडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे स्वंय मोके पर जाकर जॉच करे कि अपीलार्थी का अतिक्रमित अराजी पर वर्तमान मे कब्जा रहा है अथवा नही। यदि वाद जॉच अपीलार्थी का कब्जा नही हो तो अपीलाधीन निर्णय मे पारित सिविल करावास की सजा को निरस्त समझे अन्यथा स्थिति मे सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 02/06/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर